

राजस्थान सरकार  
राजस्व & ग्रुप-6 & विभाग

प्रेषित:- समस्त संभागीय आयुक्त,  
राजस्थान ।

समस्त जिला कलेक्टर,  
राजस्थान ।

क्रमांक:- प.6&12&राज-6/76 /2

जयपुर, दिनांक:- 11-2-99

विषय:- राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को भूमि आवंटन  
के संबंध में ।

महोदय,

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को राज्य में राजकीय कृषि भूमि का आवंटन अधिसूचना दिनांक 02.08.1984 के अन्तर्गत किया जाता है ।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को भूमि आवंटन निःशुल्क किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था । उक्त प्रस्ताव के विचाराधीन रहते विभाग द्वारा समसंख्यक आदेशा 22 जनवरी, 1996 द्वारा भूमि आवंटन के संबंध में नीति तय होने तक भूमि का आवंटन निःशुल्क इस शर्त पर करने के निर्देशा दिये कि भूमि की कीमत तथा अन्य शर्तों के बारे में मण्डल राज्य सरकार के निर्णय से बाध्य होगा ।

उपरोक्त के संबंधमें राज्य सरकार द्वारा विचार कर निर्णय लिया गया है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को भूमि आवंटन अधिसूचना 02.08.1984 के अनुसार ही किया जायेगा । इस संबंध में जारी आदेशा क्रमांक प.6&12&राज-6/76/2 दिनांक 22.01.1996 को वापिस लिया जाता है एवं इस आदेशा की पालना में अब तक राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को जो भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है । उनमें अधिसूचना दिनांक 02.08.1984 की शर्तों के अनुसार उस भूमि का मूल्य, रेन्ट आदि राशि वसूल की जावे ।

भवदीय,

  
& संजय दीक्षित &  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्रमशः... 2 पर

1. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर ।
2. शासन उप सचिव, ऊर्जा विभाग ।
3. निबन्ध, राजस्व विभाग, राजस्थान राज्य - : पी.जी.पी.सी.
4. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर ।
5. शासन उप सचिव, राजस्व विभाग - 2, 3 एवं उपनिवेशन विभाग

यथाशक्ति  
स्थायक विवाध प्रालिखित

मनोज/5299

सहायक सचिव

-: श्री जी.पी.पी.सी. विभाग, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर - : पी.जी.पी.सी.

पत्र S. 1111

सहायक सचिव

-: श्री जी.पी.पी.सी. विभाग, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर - : पी.जी.पी.सी.